


11-11-25

खंडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पंजावली पेश ड्रई, वकील प्राप्तिगत उपस्थित, वकील
प्राप्तिगत का प्राप्तिगत न्यायवृत्ति में स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पंजावली किया
गया। पंजावली फल शुमार होकर मन्वर से कम
है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला श्रीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 471/25 प्रा.पत्र

1- श्री राधेश्याम सो. श्री लब्धा कंजर निवल्ली - लाम्बिया तहसील - गंगार - प्रार्थी [वर्ग]

बनाम

1- श्री कैलाश सो. श्री फौज्या कंजर नि. लक्ष्मणगढ़ कोलोनी बागोर त. माण्डल - विपक्षीगण [वर्ग]
(प्रकृतित प्रा.पत्र संलग्न)

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 ::

दिनांक:- 11-11-25

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मणगढ़ कोलोनी पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 328, 330, 335, 336, 337 कुल किता 0.5 रकबा 1.4922 है 0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-04-25 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

--: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मणगढ़ कोलोनी पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 328, 330, 335, 336, 337 कुल किता 0.5 रकबा 1.4922 है 0 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 700 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा